

पत्रांक—MDMc3-05/2007

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद एवं नलन्दा।

प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना।

वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना।

पटना, दिनांक

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के द्वितीय त्रैमास में अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन के संबंध में।

- प्रसंग i. मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-1437 दिनांक 31.08.2013
ii. मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी, नलन्दा के पत्रांक-730 दिनांक 12.09.2013।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक वित्तीय वर्ष 2013-14 के द्वितीय त्रैमास का उपावंटन इस निदेशालय का पत्रांक-987 दिनांक 22.05.2013(मूल आवंटन) एवं 1988 दिनांक 27.07.2013(अतिरिक्त आवंटन) के द्वारा किया जा चुका है, परन्तु कुल लाभान्वितों की संख्या औसत से अधिक होने के कारण एवं कुल कार्य दिवस अधिक होने के कारण औरंगाबाद एवं नालन्दा जिलों के द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न की माँग की गई है। अतएव इन जिलों को द्वितीय त्रैमास (जुलाई 2013 से सितम्बर 2013) के लिए निम्न प्रकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपावंटित किया जा रहा है—

क्रम सं०	जिला का नाम	वर्ग I-V			कुल आवंटन	वर्ग VI-VIII			कुल आवंटन
		द्वितीय त्रैमास का मूल आवंटन पत्रांक-987 दिनांक 22.05.2013 (मात्रा MT में)	द्वितीय त्रैमास में अतिरिक्त आवंटन पत्रांक-1988 दिनांक 27.07.2013 (मात्रा MT में)	द्वितीय त्रैमास में और अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता (मात्रा MT में)		द्वितीय त्रैमास का मूल आवंटन पत्रांक-987 दिनांक 22.05.2013 (मात्रा MT में)	द्वितीय त्रैमास में अतिरिक्त आवंटन पत्रांक-1988 दिनांक 27.07.2013 (मात्रा MT में)	द्वितीय त्रैमास में और अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता (मात्रा MT में)	
1	औरंगाबाद	1245.79	159.24	320	1725.03	659.3	416.02	180	1255.32
2	नालन्दा	1062.81	720.1	150	1932.91	618.59	385.3	100	1103.89
	कुल	2308.6	879.34	470	3657.94	1277.89	801.32	280	2359.21

2. भारत सरकार से द्वितीय त्रैमास में प्राप्त कुल खाद्यान्न का आवंटन, जिलों को उपावंटित खाद्यान्न तथा आकस्मिकता हेतु सुरक्षित खाद्यान्न की विवरणी इस प्रकार है—

भारत सरकार से द्वितीय त्रैमास 2013-14 का प्राप्त आवंटन पत्रांक—No.5-1/2013-Desk(MDM) दिनांक 15.02.2013 (मात्रा MT में)		जिलों को द्वितीय त्रैमास 2013-14 में कुल उपावंटन पत्रांक—987 दिनांक 22.05.2013 (मात्रा MT में)		द्वितीय त्रैमास 2013-14 में आकस्मिकता हेतु सुरक्षित कुल खाद्यान्न		निर्गत अतिरिक्त आवंटन(मात्रा MT में)		कुल अवशेष खाद्यान्न(मात्रा MT में)	
वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII
38486.1	19915.6	36478.63	19445.69	2367.47	320.9	470	280	1897.47	40.9

3. भारत सरकार प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास 2013-14 में प्राप्त कुल अतिरिक्त खाद्यान्न का विवरणी :-

प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में प्राप्त अतिरिक्त आवंटन की विवरणी					
भारत सरकार से प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास 2013-14 में प्राप्त कुल अतिरिक्त आवंटन पत्रांक—No.F.5-1/2013-Desk(MDM) दिनांक 18.08.2013 (मात्रा MT में)		प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास 2013-14 में निर्गत कुल अतिरिक्त आवंटन पत्रांक—1988 दिनांक 27.07.2013 (मात्रा MT में)		प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास 2013-14 में अतिरिक्त आवंटन से आकस्मिकता हेतु कुल सुरक्षित खाद्यान्न (मात्रा MT में)	
वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII
25039.12	16439.46	24612.76	14604.29	426.36	1835.17

4. इन जिलों के लाभान्वित की संख्या औसत से अधिक होने के कारण एवं कुल कार्य दिवस अधिक होने के कारण इन जिलों को अतिरिक्त आवंटन दिया जा रहा है। यदि आपका आवंटन कम या ज्यादा हो तो आप अवश्य इसकी सूचना देंगे।
5. जिस त्रैमास के लिए खाद्यान्न का आवंटन होगा, उस त्रैमास के पूर्व के माह की पहली तारीख से उस त्रैमास के अंतिम माह की 25 वीं तारीख के बीच खाद्यान्न के उठाव की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी। (उदाहरणार्थ, अप्रैल-जून, 2010 के त्रैमास हेतु खाद्यान्न के उठाव की वैधता 01 मार्च, 2010 से 25 जून, 2010 तक होगी) खाद्यान्न के उठाव की मात्रा में भारतीय खाद्य निगम कोई परिवर्तन नहीं करेगा। खाद्य एवं लोक वितरण विभाग के पत्रांक 4-3/2008-9-BP-II, दिनांक 09.09.2009 एवं भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक 26.01.2009-10/MDM-S-IX/Vol II, दिनांक 16.11.2009 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस हेतु विशद दिशा निर्देश दिया गया है।
- भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार आवंटित खाद्यान्न का उठाव आवंटन अवधि से एक माह पूर्व में भी किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के स्तर पर आवश्यकतानुसार इस निदेश का अनुपालन किया जायेगा।
6. भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण दल, निरीक्षण के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न FAQ गुणवत्ता वाला है। Consignee receipt (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उक्त अभिमत की एक प्रति उठाव करने वाले पदाधिकारी (राज्य खाद्य निगम) के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जिला स्तर पर भुगतान करने वाले पदाधिकारी जिला (मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी) के पास रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा।
7. (i) जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि तथा राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिये जाने वाले खाद्यान्न के तीन नमूने लेंगे और इन्हें सील कर पहला नमूना जिला प्रशासन के पास, दूसरा नमूना भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास और तीसरा नमूना राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ii) इन नमूनों को तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इस अवधि में खाद्यान्न में गुणवत्ता की शिकायत आती है तो इस नमूने से उसका मिलान कर संभावित विचलन की जिम्मेवारी निर्धारित किया जा

सकेगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को खाद्यान्न स्थानान्तरित करने के हर स्तर पर अपनाया जायेगा, जब तक कि यह खाद्यान्न बच्चों के उपयोग हेतु स्थल पर नहीं पहुँच जाता है।

8. राज्य से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन खाद्यान्न की आवश्यकता, परिवहन की सुविधा एवं भंडारण की क्षमता के आलोक में खाद्यान्न के उठाव हेतु **Schedule** स्थानीय भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगा। राज्य खाद्य निगम तदनुसार भारतीय खाद्य निगम से मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करेगा और जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित प्रकार से विद्यालयों को आवश्यकतानुरूप खाद्यान्न निर्गत करेगा।
9. भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके गोदाम में हमेशा खाद्यान्न उपलब्ध रहे, जो किसी भी परिस्थिति में **Fair Average Quality (FAQ)** से कम गुणवत्ता का न हो। भारतीय खाद्य निगम एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखेगा।
10. जिला प्रशासन एवं भारतीय खाद्य निगम का डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं हो।
11. इसी माह में आपूर्ति किये गये खाद्यान्न के बिल भारतीय खाद्य निगम अगले माह की 10 वीं तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगा तथा जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्राप्त विपत्र का भुगतान जाँचोपरान्त 20 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करेगा।
12. भारतीय खाद्य निगम अपने बैंक खाता संख्या तथा भुगतान प्राप्त करने के मोड की जानकारी जिला मध्याह्न भोजन प्रभारी पदाधिकारी को देंगे। जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे खाद्यान्न की राशि का भुगतान R.T.G.S./चेक से उस खाते में करेंगे।
13. भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि और सभी अन्य संबंधित पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न के उठाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भुगतान के संबंध में मासिक बैठक होगी तथा जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्रत्येक अगले माह की 7 वीं तारीख तक राज्य मुख्यालय (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
14. पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन (खाद्यान्न का **Monthly Progress Report**) प्रत्येक माह की अगली 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार को उपलब्ध करा देंगे जिससे यह प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संकलित करते हुए 15 वीं तारीख तक भारत सरकार को भेजा जा सके।
15. राज्य खाद्य निगम से योजना का खाद्यान्न निर्गत के समय प्रखण्ड साधन सेवी का वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है साथ ही खाद्यान्न का एक नमूना प्रखण्ड साधन सेवी के पास आगामी तीन माह के लिए रहेगा।
16. प्रबंधक निदेशक, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि०, पटना के पत्रांक 3096 दिनांक 18/4/11 के आलोक में जिला प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे जिला प्रबंधक से सम्पर्क कर मासिक उठाव का रोस्टर तैयार करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे की प्रति माह 15वीं तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण हो जाए एवं MIS में प्राप्ति की मात्रा प्रदर्शित हो जाये।

17. जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना यह सुनिश्चित करेंगे कि MIS Generated Advice के अनुसार प्रति माह की 18वीं तारीख तक खाद्यान्न का उपावंटन जारी कर देंगे। राज्य खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि जिलों में निर्धारित पूर्व प्रक्रिया के अनुसार त्रैमासिक अथवा मासिक S.I.O. निर्गत करेंगे जो माह की 23वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्गत होगा।
18. मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी, प्रति माह की 30 वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. सभी मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी, खाद्यान्न का उपावंटन प्रविष्ट कर योजना के वेबसाइट www.mdmsbihar.org पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
20. मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी संवेदक/प्रखण्ड साधनसेवी के माध्यम से खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराकर सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न वितरण के समय विद्यालय में पूर्व से भण्डारित खाद्यान्न का उपयोग किया जा रहा है।
21. प्रत्येक विद्यालय के पास हर हालत में अगले एक माह तक उपभोग किये जाने हेतु खाद्यान्न का स्टॉक रखना अनिवार्य है, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में योजना बाधित नहीं हो।
22. सभी प्रासंगिक पत्रों के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी औरंगाबाद, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 22.7.7 / पटना, दिनांक 13.9.13

प्रतिलिपि—डाटा ऑफिसर—सह—सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे इस आवंटनादेश को MDM के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

22.9.13

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।